

2026:AHC:51578

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9416/2026

शम्सुज्जुहा (सदर) एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: मैनुद्दीन अहमद

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., नागेन्द्र नाथ मिश्र

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादि/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगा गया मुख्य अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/ आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वाद संख्या 1056 सन् 2023 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी202315000001056) (शम्सुज्जुहा बनाम गंगा), जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 1901 की धारा 219 के अंतर्गत लंबित है, का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाए।
4. प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दीर्घकाल से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज दिनांक तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वाद का, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से, विधि के अनुसार यथाशीघ्र निस्तारण करें, अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, यदि इसमें कोई विधिक बाधा न हो।

13 मार्च, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)